28 अप्रैल, 2016 को नई दिल्ली में आयोजित नदियों के अंतर्योजन की परियोजना के कार्यबल के तृतीय बैठक की कार्यवृत्त।

28 अप्रैल, 2016 को नई दिल्ली में श्री बी.एन नवलावाला, मुख्य सलाहकार, ज.सं., न.वि. और गं.सं मंत्रालय के अध्यक्षता के अंतर्गत नदियों के अंतर्योजन की परियोजना के कार्यबल के तृतीय बैठक आयोजित हुई थी। इस बैठक के सहभागियों की सूची संलग्नक I में की गई है।

आरंभ में, अध्यक्ष ने न.के.अं-का.ब. और बैठक के अन्य सहभागियों का हार्दिक स्वागत किया। अपने आरंभिक भाषण ने अध्यक्ष ने कहा कि 5 नवम्बर, 2015 को कार्यबल की द्वितीय बैठक आयोजित हुई थी और लगभग उसके छह महीने बाद यह बैठक आयोजित हो रही थी। हालांकि, वे सदस्य-सचिव, न.के.अं-का.ब. और रा.ज.वि.अ. के महानिदेशक के साथ निरंतर संपर्क में रहे थे। उसके बाद, न.के.अं-का.ब. के अध्यक्ष ने रा.ज.वि.अ. के महानिदेशक और न.के.अं-का.ब. के सदस्य-सचिव से एजेंडा मुद्दे पर चर्चा आरंभ करने का अनुरोध किया था।

मुद्दा संख्या 3.1: 5 नवम्बर, 2015 को नई दिल्ली में आयोजित नदियों के अंतर्योजन की परियोजना के कार्य बल की दूसरी बैठक के कार्यवृत्त की पुष्टि

रा.ज.वि.अ. के महानिदेशक ने कहा कि पत्र दिनांकित 15 दिसंबर, 2015 के माध्यम से न.के.अं-का.ब. की द्वितीय बैठक की कार्यवृत्त परिचालित की गई थी और न.के.अं.का.ब के किसी भी सदस्य से कोई टिप्पणी नहीं मिली थी।

डॉ प्रोदिप्तो घोष ने बताया कि कार्यवृत्त के मुद्दा संख्या 2.5 के तहत आखरी अनुच्छेद से पूर्व अनुच्छेद में (पृष्ठ संख्या 10 में), शब्दों "वित्तीय विश्लेषण एवं लागत-लाभ विश्लेषण" को संशोधित कर "आर्थिक लागत-लाभ विश्लेषण" किया जा सकता है।

उपर्युक्त संशोधन सहित न.के.अं-का.बी. द्वारा बैठक के कार्यवृत्त की पुष्टि की गई।

मुद्दा संख्या 3.2: पिछले बैठक के दौरान लिए गए निर्णयों पर अनुवर्ती कार्यवाही

रा.ज.वि.अ. के महानिदेशक ने सूचित किया कि:

(i) 31.3.2016 को न.के.अं-का.ब. के अध्यक्ष के माध्यम से ज.सं., न.वि. और गं.सं मंत्रालय को कार्यबल के अतिरिक्त सदस्यों के रूप में सहयोजन के लिए 'पर्यावरण', 'नदी भू-आकृतिविज्ञान' और 'सामाजिक अर्थव्यवस्था' क्षेत्रों में तीन विशेषज्ञों के नामांकन का मामला सूचित किया गया था। ज.सं., न.वि. और गं.सं मंत्रालय से अनुमोदन मिलने की प्रतीक्षा है।

(ii) 27.1.2016 को आयोजित बैठक में रा.ज.वि.अ. के शासी निकाय द्वारा लगभग रु. 1.44 करोड़ की अनुमानित लागत सहित नदियों के अंतर्योजन की परियोजना के विशेष समिति, इसकी उप-समितियों और नदियों के अंतर्योजन की परियोजना के कार्यबल के लिए एक अलग सचिवालय कार्यालय स्थापित करने के उद्देश्य के साथ पालिका भवन, नई दिल्ली में न.दि.न.प द्वारा आवंटित कार्यालय स्थान के नवीनीकरण कार्य का प्रस्ताव स्वीकार किया गया है। ये नवीनीकरण कार्य विधिवत संहिता प्रक्रिया और परियोजना प्रबंधन सलाहकारी दृष्टिकोण का पालन करने वाले केंद्र सरकार/ राज्य सरकार के अभिकरणों द्वारा निष्पादित किया जाना होगा। इस कार्य निष्पादन के लिए अभिकरण का चुनाव किया जा चुका है और 14.3.2016 को यह

निर्माण कार्य मेसर्स उ.प्र. राजकीय निर्माण निगम लिमिटेड, नई दिल्ली को सौंपा गया है। अभिकरण ने कार्य आरंभ कर दिया है।

(iii) गैर-सरकारी सदस्यों के योग्यता में पृथकता के संबंध में 4.3.2016 को ज.सं., न.वि. और गं.सं मंत्रालय द्वारा स्वीकृति के लिए गैर-अधिकारी सेवा निवृत्त (सरकारी अधिकारी) सदस्यों (रु. 10,000 के ग्रेड पे में वेतनमान-4) के अधिकार के समान गैर- सरकारी निजी सदस्यों के या.भ/म.भ अधिकार प्रदान करने का प्रस्ताव जमा कर दिया गया था।

(iv) ज.सं., न.वि. और गं.सं मंत्रालय ने न.के.अं की परियोजना के विशेष समिति, इसकी उप-समितियों और कार्यबल के कार्यों में सहायता हेतु 12 सलाहकारों (वरिष्ठ स्तर पर 6, मध्य स्तर पर 4 और कनिष्ठ स्तर पर 2) के नियुक्ति की स्वीकृति प्रदान की थी। रा.ज.वि.अ. ने छह सलाहकार (वरिष्ठ स्तर पर 5 और कनिष्ठ स्तर पर 1) नियुक्त किया थी। बाकी के छह सलाहकारों (वरिष्ठ स्तर पर 1, मध्य स्तर पर 4 और कनिष्ठ स्तर पर 1) की नियुक्ति पर कार्यवाही की गई और 5 सलाहकारों (वरिष्ठ स्तर पर 1, मध्य स्तर पर 3 और कनिष्ठ स्तर पर 1) को चुना गया था। उनमे से 2 सलाहकारों (मध्य स्तर पर 1 और कनिष्ठ स्तर पर 1) ने कार्यभार ग्रहण किया था। बाकी के सलाहकारों को अब भी अपना कार्यभार ग्रहण करना है।

कार्यबल ने सूचना को नोट किया।

मुद्दा संख्या 3.3: नदी जलाशय में जल संतुलन अध्ययन निष्पादित करने के रा.ज.वि.अ. के दिशा-निदेशों की समीक्षा

न.के.अं-का.ब. के अध्यक्ष ने कहा कि नदियों के अंतर्योजन की परियोजना की विशेष समिति ने (न.के.अं.वि.स) ने नदियों के अंतर्योजन की परियोजना के उद्देश्य हेतु 'अधिशेष जल' के मुद्दे पर विचार-विमर्श करने और न.के.अं.वि.स को अपनी संस्तुति प्रदान करने का कार्य कार्यबल को सौंपा था। इसके अलावा, उन्होंने यह भी बताया कि तेलंगाना के माननीय मंत्री और श्री आर. विद्यासागर राव, सलाहकार, तेलंगाना सरकार ने उनसे कहा था कि रा.ज.वि.अ. के तकनीकी सलाहकारी समिति (त.स.स) के दिशा-निदेश काफी पुराने थे और आधुनिक विकासों के सन्दर्भ में इनकी समीक्षा आवश्यक है। इसके अलावा, कुछ राज्यों द्वारा नदियों के अंतर्योजन की परियोजना में 120 मीटर तक लिफ्ट की सीमा के संबंध में अन्य मुद्दा भी उठाया गया था। उन्होंने कहा कि 120 मीटर का लिफ्ट संभव नहीं है, किन्तु लिफ्ट आर्थिक रूप से व्यवहार्य होना चाहिए।

रा.ज.वि.अ. के महानिदेशक ने उल्लेख किया था कि रा.ज.वि.अ. के त.स.स का कार्य संचालन ज.सं., न.वि. और गं.सं मंत्रालय और अन्य केन्द्रीय मंत्रालयों/ विभागों के सदस्यों सहित तथा केन्द्रीय जल आयोग के अध्यक्ष की अध्यक्षता के अंतर्गत हो रहा था और रा.ज.वि.अ. के सदस्य राज्य इसके विशेष अतिथि थे। ये दिशा-निदेश समय-समय पर लिए गए निर्णयों के सार थे और साथ हीं अधिकांश निर्णय रा.ज.वि.अ. के सदस्य राज्यों के सलाह से त.स.स के भिन्न बैठकों में किसी विशिष्ट स्थिति या आवश्यकता के सन्दर्भ में लिए गए थे और 1996 में आयोजित इसकी 25 वीं बैठक में इसमें आखरी दिशा-निदेश शामिल किया गया था। उसके बाद, उन्होंने इन दिशा-निदेशों की संक्षिप्त प्रस्तुतीकरण पेश किया। इस प्रस्तुतीकरण में जल उपलब्धता, सार्वजनिक एवं औद्योगिक तथा कृषि उपयोगों के लिए आवश्यक जल, लवणता नियंत्रण, पर्यावरणीय तथा पारिस्थितिक आवश्यकता, वार्षिक सिंचाई की तीव्रता, वर्ष 2050 तक सिंचाई के अंतर्गत लाया जाना वाला क्षेत्र, पुनरुत्पादन एवं अंतर बेसिन जल अंतरण लिंकों के लिए जल का अनुकूल उत्थान के प्रावधान शामिल थे।

उसके बाद, डॉ प्रोदिप्तो घोष ने "भारत के नदियों को जोड़ना: अधिकतम लाभ उठाना" पर एक प्रस्तुतीकरण पेश किया, जिसमे उन्होंने समष्टि और परियोजना स्तर पर आवश्यक अतिरिक्त निश्चित प्रयासों को उजागर किया। उन्होंने नदियों के अंतर्योजन के संबंध में 'वचन', वचनों को पूरा करने में आने वाली समस्याएँ, भिन्न प्रकार के प्रभाव, समष्टि स्तर तथा परियोजना स्तर के प्रभावों के आकलन में आवश्यक निश्चित प्रयासों इत्यादि के मामले में भी जानकारी दी। उनके प्रस्तुतीकरण की एक प्रतिलिपि संलग्नक-3.3.1 में प्रदान की गई है। उन्होंने उल्लेख किया कि बारम्बार उत्पन्न होने वाले जल विज्ञानीय असंतुलन समस्याओं – सूखा तथा बाढ़ का स्थायी समाधान है नदियों को जोड़ना; नदियों के अंतर्योजन की परियोजना कृषि क्षेत्र में भारत की वैश्विक प्रतिस्पर्धा और प्रमुख योगदान की अनुभूति करवाता है। उन्होंने यह भी कहा कि न.के.अं की परियोजना सभी प्रकार के जलवायु परिवर्तन अनुकूलन रणनीतियों की जननी है। हालांकि, संभव प्रतिकूल पर्यावरण प्रभावों; प्रतिकूल सामाजिक प्रभावों; वित्तीय प्रभाव के संबंध में आशंका थी और ऐसे वित्त-पोषण प्रतिमान के विकास की आवश्यकता थी जो सिंचाई के विरूपित शुल्कों के संशोधन की पुष्टि में सहायता करे। इसके अलावा, समष्टि अर्थशास्त्र प्रभावों, राज्यों/क्षेत्रों द्वारा अनुकूल शस्य स्वरूप; पूरे देश में क्षेत्रीय पर्यावरण का प्रभाव और जल विज्ञान के संबंध में अनुकूलन को संबोधित करने के इस कार्यक्रम की क्षमता का आंकलन करने की आवश्यकता होगी। उन्होंने विस्तार पूर्वक, समष्टि स्तर और परियोजना स्तर पर के एकीकृत प्रभाव आंकलन में आवश्यक निश्चित प्रयासों के बारे में बताया। उन्होंने कहा कि हमारा देश इस प्रकार का विश्लेषण करने की क्षमता रखता है और इसके लिए किसी बाहरी तकनीकी सहायता की आवश्यकता नहीं थी। राष्ट्रीय तथा राज्य स्तरीय निर्णय लेने के अलावा यह अध्ययन पर्यावरणीय, आर्थिक तथा सामाजिक प्रभावों के आधार पर न.के.अं की परियोजना के साध्यता के संबंध में सम्बद्ध स्वदेशी तथा विदेशी क्वार्टर्स द्वारा अभिव्यक्त संदेहों का भी व्यापक रूप से समाधान प्रदान करेगा।

न.के.अं-का.ब. के अध्यक्ष ने कहा कि भिन्न कमान क्षेत्रों में शस्य स्वरूप के चयन से गंभीर कानूनी तथा राजनैतिक प्रभाव हुए थे। ब्रिटिश शासन के दौरान, दक्षिण भारत में, शस्य स्वरूप का स्थानीकरण प्रचलन में था, अर्थात कृषकों को एक निश्चित कमान क्षेत्र में एक निश्चित फसल ही रोपना पड़ता था। हालांकि, आज-कल, वास्तविक भू फसल अनुक्रम, परियोजना की योजना बनाते समय वास्तविक फसल अनुक्रम से बिलकुल भिन्न पाई गई थी। उन्होंने गुजरात के उकाई सिंचाई परियोजना का उदाहरण दिया, जहाँ पर आकल्पित शस्य स्वरूप के तहत गन्ने की खेती मात्र 155 थी, जबकि वर्तमान में यह लगभग 50% थी।

डॉ प्रोदिप्तो घोष ने कहा कि निःशुल्क/ उच्च आर्थिक सहायता प्राप्त जल (आंध्र प्रदेश के मामले के समान) निःशुल्क/ उच्च आर्थिक सहायता प्राप्त बिजली (पंजाब के समान) के कारण भी शस्य स्वरूप में काफी अंतर आ रहा था, और वहाँ पर अधिक जल आवश्यकता वाले फसल पैदा किए जा रहे थे। यह आवश्यक था कि आर्थिक रूप से अनुकूल तथा पर्यावरणीय रूप से स्थिर शस्य स्वरूप अपनाकर कृषक न.के.अं की परियोजना के प्रत्येक अवयवों के प्रति सकारात्मक प्रतिक्रिया प्रदान करें। ऐसा करने में उन्हें सक्षम बनाने के लिए, अभियांत्रिकी निर्माण कार्य तथा संचालन सहित भिन्न नीतियों का उत्तरदायित्व लिया जाना था। इनमे जल एवं सिंचाई शुल्क (जो प्रत्येक परियोजना के वित्तीय साध्यता को सुनिश्चित करेगा), कृषकों के लिए बिजली शुल्क (राज्य स्तर पर जिन दोनों का एक सकारात्मक वित्तीय प्रभाव पड़ेगा) और साथ हीं न्यूनतम समर्थन मूल्य (न्यू.स.मू) और उपार्जन नीतियाँ शामिल हो सकती हैं। निष्पक्ष जल आवंटन के प्रबंधन के लिए जल उपयोगकर्ताओं के संघ का गठन और कृषकों के लिए जल कोटा की स्वीकृति जैसी अन्य नीतियों के बारे में अधिक खोज करनी चाहिए और ये नीतियाँ जहाँ साध्य हो, वहाँ अपनाया भी जाना चाहिए। उन्होंने बताया कि सतह के भण्डारण जलाशय के लिए भूमि की कमी के कारण पीक सीजन के दौरान भू जल पुनर्भरण करने के प्रति न.के.अं की परियोजना की क्षमताओं के विषय में भी अधिक खोज करना चाहिए, ताकि भूमिगत जलदायी स्तर की अत्यधिक विशाल क्षमता का उपयोग किया जा सके। उन्होंने यह भी कहा कि निर्भरता मानदंड के लिए कोई दिशा-निदेश निर्दिष्ट नहीं किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि परिवेशी तथा पर्यावरणीय प्रवाहों के लिए मिसाल कायम किया जाना चाहिए।

श्री आर. विद्यासागर राव ने न.के.अं-का.ब. का ध्यान अनुच्छेद – II दिशा-निदेशों के उत्पादन की परिकलन के उप-अनुच्छेद-5 के तरफ आकर्षित किया, जिसमे यह लिखा था कि ".....निर्णयों/ समझौतों के ज़रिए सूचित आवंटनों में बिना किसी परिवर्तन के उसे अध्ययनों में शामिल किया जाएगा।" अतः, उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि न्यायाधिकरण के निर्णयों का सम्मान किया जाना चाहिए और बिना किसी परिवर्तन के इनका कार्यान्वयन किया जाना चाहिए। न.के.अं-का.ब. के अध्यक्ष ने उत्तर दिया कि न्यायाधिकरण के निर्णयों का सदैव सम्मान किया गया था। श्री आर. विद्यासागर राव ने कहा कि तेलंगाना में दो जलाशय है, गोदावरी और कृष्णा। गोदावरी जल विवाद न्यायाधिकरण ने वास्तव में निश्चित निर्भरता पर जल उपलब्धता का परिकलन किए बिना हीं अपने फैसले में सह-जलाशय राज्यों को भिन्न स्थानों पर गोदावरी जलाशय का जल आवंटित किया था। कृष्णा जल विवाद न्यायाधिकरण-I ने अपने फैसले में जलाशयों के जल का आवंटन 75% निर्भरता प्रवाह पर किया था। जबकि, कृष्णा जल विवाद न्यायाधिकरण-II ने अपने फैसले में जलाशयों के जल का आवंटन 65% निर्भरता प्रवाह पर किया था। रा.ज.वि.अ. के त.स.स के दिशा-निदेश पुराने थे, अतः उनकी समीक्षा तथा संशोधन की आवश्यकता थी। उन्होंने सुझाव दिया कि 75% निर्भरता और औसत प्रवाह के आधार पर जल उपलब्धता के हिसाब से जल संतुलन का परिकलन किया जाना चाहिए। शेष जल को अधिशेष जल समझा जाना चाहिए और इसे जलन्युन क्षेत्र मे पथांतीत की योजना बनाई जानी चाहिए।

श्री ए.डी मोहिले ने कहा कि डॉ घोष का प्रस्तुतीकरण बहुत अच्छा था और इसमें जल संसाधन विकास तथा प्रबंधन के सभी पहलू शामिल थे। हालांकि, एक ऐसी प्रतिमान की योजना बनाने की आवश्यकता थी जो वर्तमान के राजनैतिक परिदृश्य में स्वीकार्य हो। दिशा-निर्देशों के संबंध में, उन्होंने कहा कि न.के.अं की परियोजनाओं के आयोजन में भू जल तथा सतही जल दोनों पर विचार किया जाना चाहिए। उन्होंने यह भी कहा कि वास्तविक पुनरुत्पादन 40% था और दिशा-निदेशों में प्रदत्त अनुसार न कि 10% था| 20% वाष्पीकरण हानि के प्रावधानों के संबंध में, उन्होंने बताया कि किसी भी शोध या अन्यथा में कोई ऐसा अनुमान नहीं लगाया था, जिसमे वाष्पीकरण हानि का अनुमान लगाया जा सके। अब, लगभग हर क्षेत्र में जलाशय वाष्पीकरण हानि के आंकड़े उपलब्ध थे, परियोजना की योजना बनाते समय जिसका उपयोग जलाशय के वाष्पीकरण हानि के परिकलन के लिए इस्तेमाल किया जा सकता था। उन्होंने दिशा-निदेशों में प्रदत्त अनुसार 75% निर्भर उत्पादन के 10% भाग के लवणता नियंत्रण पर सहमति जताई। इसके अलावा, उन्होंने यह भी उल्लेख किया कि पर्यावरणीय अवश्यकातों के लिए भण्डारण के अनुप्रवाह में लीन सीजन के औसत प्राकृतिक प्रवाह के 10% भाग पर विचार किया जा सकता है। उन्होंने सुझाव दिया कि न.के.अं.वि.स और/या न.के.अं-का.ब. अधिशेष जल के मुद्दों पर चर्चा कर सकते हैं और दिशा-निदेशों की तदनुसार समीक्षा कर सकते हैं। इसके अलावा उन्होंने सुझाव दिया कि न.के.अं की परियोजनाओं में अनुमत्य लिफ्ट तकनीकी-आर्थिक रूप से साध्य होना चाहिए। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि उत्थान की आर्थिक लागत का हिसाब करते समय अनुमेय उत्थान आर्थिक रूप से साध्य होना चाहिए, जिसमे विद्युत लागत को अवसर लागत समझा जाना चाहिए न कि आर्थिक सहायता प्राप्त लागत समझा जाना चाहिए।

न.के.अं-का.ब. के अध्यक्ष ने कहा कि पर्यावरणीय प्रवाह एक अत्यंत संवेदनशील मुद्दा है और पिछले 15 वर्षों से इस पर चर्चा/ तर्क ज़ारी है। वास्तव में यह स्थानीय नदियों के प्रवाह/ पारिस्थितिक तंत्र की आवश्यकता थी।

श्री एम. गोपालकृष्णन ने डॉ प्रोदिप्तो घोष के प्रस्तुतीकरण की प्रशंसा की। उन्होंने बताया कि सिंचाई परियोजनाओं के निर्भरता मानदंड में 75% सफलता दर पर विचार किया गया था। जहाँ तक न.के.अं की परियोजनाओं में 120 मीटर तक के उत्थान का सवाल है, उन्होंने कहा कि ये उत्थान आर्थिक रूप से दीर्घकालिक होना चाहिए और एक परियोजना की उत्थान अन्य परियोजना के उत्थान से अलग हो सकता है। उन्होंने अभिव्यक्त किया कि जब न.के.अं की परियोजनाओं का कार्यान्वयन किया जाएगा, यह क्षेत्र के बेहतर जल अनुशासन में परिवर्तित हो जाएगा। उन्होंने तंत्र अध्ययनों के पद्धति का भी

सुझाव दिया। क्षेत्रीय उपयोगों के मामले में, सार्वजनिक तथा औद्योगिक उपयोगों में लोगों के लिए जल उपलब्धता पर विचार किया जाना चाहिए।

श्री आर. जेयासीलन ने कहा कि दिशा-निदेशों में भू जल के संबंध में विरोधात्मक प्रावधान हैं, जैसे कि अनुच्छेद IV – भू जल के अंतर्गत उप-अनुच्छेद-1, में दिया गया है कि "भू जल संभाव्यताओं के आकलन का भार राज्य सरकारों पर छोड़ दिया जाना चाहिए और रा.ज.वि.अ. द्वारा किए जा रहे जल संतुलन अध्ययनों में एक उपलब्ध संसाधन के रूप में इन पर विचार नहीं किया जाना चाहिए", जबकि उसी अनुच्छेद के उप-अनुच्छेद-10 में यह दिया गया है कि "भू जल को एक पृथक स्रोत के रूप में प्रदर्शित करने पर सहमति जताई गई है।" उन्होंने सुझाव दिया कि सम्पूर्ण दिशा-निदेशों की समीक्षा की जानी चाहिए और तदनुसार स्पष्ट दिशा-निदेश प्रस्तुत किया जाना चाहिए।

राजस्थान के प्रतिनिधि ने कहा कि जल संतुलन के लिए निर्भरता मानदंडों का निर्णय लेते समय, जल की "आवश्यकता" तथा "उपलब्धता" मुख्य मुद्दे रहे थे। राष्ट्रीय जल नीति (2012) में भिन्न जल उपयोगों की प्राथमिकता निर्दिष्ट नहीं थी। राजस्थान राज्य जल नीति ने "पेय जल" को प्रथम प्राथमिकता प्रदान की थी। जल संसाधन परियोजनाओं का संचालन लाभ-लागत अनुपात मानदंड के आधार पर नहीं होना चाहिए। न.के.अं की परियोजनाओं में राज्य सरकारों के दृष्टिकोण पर भी विचार किया जाना चाहिए। इसके दिशा-निदेश इस तरह से निर्मित होने चाहिए कि राज्यों को अधिक से अधिक जल उपलब्ध कराया जा सके। रा.ज.वि.अ. के दिशा-निदेश एक मिसाल होना चाहिए और सभी राज्यों पर बाध्यकारी होना चाहिए। इसके अलावा, उन्होंने यह भी कहा कि मानसून में ही अधिकांश जल उपलब्ध होता है और वर्तमान में वर्षा स्वरूप भी तेजी से बदल गया है। अतः, उन्होंने सुझाव दिया कि समुद्र में जा मिलने वाला अप्रयुक्त जल का उपयोग किया जाना चाहिए/ न.के.अं की परियोजनाओं के जारी अंतरित किया जाना चाहिए।

श्री श्रीराम वेदिरे ने कहा कि मौजूदा दिशा-निदेश व्यापक थे। रा.ज.वि.अ. के सभी सदस्य राज्यों को ये दिशा-निदेश भेजा जाना चाहिए और एक निश्चित समय के भीतर इस पर उनका नजरिया प्राप्त करना चाहिए। उनकी राय जानने का बाद, सबसे उपयुक्त वैकल्पिक योजना की पहचान के प्रणाली अध्ययनों के लिए गठित उप-समिति के बैठक में इन दिशा-निदेशों की समीक्षा और इस पर आलोचना होनी चाहिए। उसके बाद, कार्यबल को समीक्षित दिशा-निदेश प्रदान किया जा सकता है। दिशा-निदेशों पर अंतिम निर्णय लेते समय तकनीकी, जल आवश्यकता, जल उपलब्धता और राजनैतिक परिप्रेक्ष्य से इस पर विचार किया जाना चाहिए।

श्री विराग गुप्ता ने कहा कि कार्य बल के प्रत्येक सदस्य के तरफ से दिशा-निदेशों पर लगभग 3-4 पृष्ठों की लिखित राय प्राप्त की जा सकती है। उसके बाद, इसका सार तैयार किया जा सकता है और कार्यबल के अगली बैठक में साझा जा सकता है। उसके बाद, दिशा-निदेश तय किए जाने चाहिए।

अध्यक्ष केन्द्रीय जल आयोग ने कहा कि जल के भिन्न उपयोगों के लिए निर्भरता मानदंड भी अलग-अलग हैं। जल आपूर्ति परियोजनाओं के लिए यह 100% है, जल विद्युत परियोजनाओं के लिए 90% है और सिंचाई परियोजनाओं के लिए 75% है। उपलब्ध जल का आवंटन इस प्रकार से होना चाहिए कि यह निष्पक्ष हो और अधिक निर्भरता हो, और जो अधिक विश्वसनीयता प्रदान करे। जहाँ तक फसल अनुक्रम का सवाल है, उन्होंने बताया कि कृषि उत्पादनों का संचालन विपणन संचालित बलों द्वारा होता था। अतः, कृषकों द्वारा उचित कृषि पद्धति पालन की प्रेरणा के लिए प्रदर्शन शिविर की व्यवस्था की जानी चाहिए।

न.के.अं-का.ब. के अध्यक्ष ने कहा कि परियोजना के लिए फसल अनुक्रम की योजना बनाने के वजाय अधिकतम सिंचाई संख्या तय किया जा सकता है और इस आधार पर कृषक शस्य स्वरूप का निर्णय ले सकते हैं और/या उनके द्वारा अनुपूरक जल आपूर्ति की योजना बना सकते हैं।

गुजरात के प्रतिनिधि ने कहा कि उकाई परियोजना में आरंभ में गन्ने की खेती कुल फसलों की खेती का 15% था, जो बाद में बढ़कर 50% तक हो गया था। परियोजना में आकल्पित शस्य स्वरूप का डेल्टा 0.6 मीटर था, और जो बढ़कर वास्तव में 1.4 से 1.5 मीटर हो गया। इससे पड़ोसी क्षेत्रों में लवणता बढ़ गई। उन्होंने कहा कि कृषकों द्वारा अपनाया जाने वाला शस्य स्वरूप राज्य सरकार के नियंत्रण में नहीं थी। उन्होंने यह भी कहा कि पहले, मौसमी आधार पर जल शुल्क लागू किया जाता था, जबकि अब, प्रति सिंचाई प्रति हेक्टेयर के आधार पर जल शुल्क बढ़ाया गया था और तब भी उकाई परियोजना के कमान क्षेत्र में गन्ने की खेती की जा रही थी।

महाराष्ट्र के प्रतिनिधि ने कहा कि किसी भी परियोजना प्रस्ताव के सूत्रण के लिए दिशा-निदेशों का होना अत्यंत महत्वपूर्ण है। इन दिशा-निदेशों के सूत्रण में राज्य/ क्षेत्र के भूगोल और जलवायु पर भी विचार किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र का कुल कृषि योग्य क्षेत्र 85 लाख हेक्टेयर थी, स्थलाकृति एवं अन्य अवरोधों के कारण जिसमे से केवल 10 लाख हेक्टेयर की कृषि योजना बनाई गई थी। उनके राय में न.के.अं की परियोजनाओं में आर्थिक रूप से व्यवहार्य उत्थानों की स्वीकृति प्रदान की जानी चाहिए। अनुसंधान रिपोर्टों के आधार पर सिंचाई परियोजनाओं से पुनरुत्पादन किया जाना चाहिए। महाराष्ट्र सरकार द्वारा सांगली तथा कोल्हापुर जिले में कुछ अध्ययन करवाया गया था, जिसमे सूचित पुनरुत्पादन लगभग 26% बताया गया था। निर्भरता मानदंड के सम्बन्ध में उन्होंने कहा कि कृष्णा जल विवाद न्यायाधिकरण-II द्वारा अपने गए पद्धति का पालन किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि कृषकों पर शस्य स्वरूप लागू करने से काम नहीं बनेगा। हालांकि, निश्चित शस्य स्वरूप अपनाने के लिए कृषकों को सुनिश्चित मात्रा में जल प्रदान किया जाना चाहिए।

आंध्र प्रदेश के प्रतिनधि ने किसी जलाशय में जल संतुलन के आगणन के लिए जल उपलब्धता के लिए 75% निर्भरता मानदंड का समर्थन किया, जो अधिक विश्वसनीय रहेगा। उन्होंने कहा कि उनके राज्य में शस्य स्वरूप बदलता रहता था। हालांकि, जहाँ पर पर्याप्त मात्रा में जल उपलब्ध थी, वहां पर धान की फसल उगाई जा रही थी। न.के.अं की परियोजनाओं के लिए शस्य स्वरूप निर्धारित होना चाहिए और पथांतरण जल का उपयोग अधिक न्यायसंगत तरीके से किया जाना चाहिए।

रा.ज.वि.अ. के महानिदेशक ने कहा कि कुछ राज्यों ने न.के.अं की परियोजनाओं के लिए 'अधिशेष जल' के परिभाषा पर सवाल उठाए थे। उन्होंने यह भी कहा कि दिशा-निदेशों की समीक्षा करते समय एकीकृत जल योजना पर भी ध्यान दिया जाना चाहिए। उन्होंने सुझाव दिया कि सदस्य राज्यों को मौजूदा दिशा-निदेश भेजा जाना चाहिए और उनसे निश्चित समय के भीतर इस विचार पर उनकी राय मांगी जानी चाहिए और उसके बाद के.ज.आ के अध्यक्ष के अध्यक्षता के तहत रा.ज.वि.अ. के त.स.स द्वारा इसकी समीक्षा की जा सकती है।

न.के.अं-का.ब. के अध्यक्ष ने यह निष्कर्ष निकाला कि सभी संबंधी राज्यों को मौजूदा दिशा-निदेश तत्काल भेजा जाना चाहिए ताकि वे दो सप्ताह के समय के भीतर इस पर अपनी राय/ दृष्टिकोण सूचित सके। उसके बाद के.ज.आ के अध्यक्ष के अध्यक्षता के तहत रा.ज.वि.अ. की त.स.स सभी सदस्य राज्यों के राय/ दृष्टिकोण पर विचार करेगी और दिशा-निदेशों की समीक्षा कर न.के.अं की परियोजना के कार्यबल को यह सौंप देगी। जून, 2016 के प्रथम सप्ताह के दौरान आयोजन के लिए प्रस्तावित अगली बैठक में कार्यबल समीक्षित दिशा-निदेशों पर विचार करेगी।

अध्यक्ष का धन्यवाद करते हुए बैठक समाप्त हुई ।

संलग्नक I

28.04.2016 को नई दिल्ली में आयोजित नदियों के अंतर्योजन की परियोजना के कार्यबल की तृतीय बैठक के सहभागी

1. श्री बी.एन नवलावाला, अध्यक्ष
   मुख्य सलाहकार,
   ज.सं., न.वि. और गं.सं मंत्रालय

2. श्री जी.एस. झा, सदस्य
   अध्यक्ष, के.ज.आ

3. श्री प्रोदिप्तो घोष, सदस्य
   पूर्व सचिव, प.व.मं
   विख्यात सदस्य, ऊ.सं.सं

4. श्री श्रीराम वेदिरे, सदस्य

सलाहकार,
ज.सं., न.वि. और गं.सं मंत्रालय

5. श्री ए.डी मोहिले, सदस्य
पूर्व अध्यक्ष,
केन्द्रीय जल आयोग

6. श्री एम. गोपालकृष्णन, सदस्य
पूर्व महासचिव,
अं.सिं.ज.आ, नई दिल्ली

7. श्री विराग गुप्ता, सदस्य
सांविधिक तथा पर्यावरणीय कानून विशेषज्ञ

8. श्री एस.मसूद हुसैन, सदस्य-सचिव
महानिदेशक, रा.ज.वि.अ.

विशेष अतिथिगण:

9. श्री आर.जेयासलीन,
कार्यकारी अध्यक्ष, के.ज.आ

10. श्री आर. विद्यासागर राव, तेलंगाना सरकार के
सलाहकार (सिंचाई), प्रतिनिधि
तेलंगाना सरकार

11. श्री डी. रामकृष्ण प्रधान सचिव, सिंचाई
मुख्य अभियंता, तथा सीएडी, आंध्र प्रदेश
सिंचाई एवं सीएडी, आंध्र प्रदेश सरकार सरकार के प्रतिनिधि

12. श्री आर.वी पांसे, प्रधान सचिव (ज.सं..वि),
महानिदेशक, महाराष्ट्र सरकार के
महाराष्ट्र अभियांत्रिकी अनुसंधान, प्रतिनिधि
संस्था (म.अ.अ.सं), नासिक, महाराष्ट्र

13. श्री के.बी रबडिया, सचिव, ज.सं..वि,
मुख्य अभियंता (महासचिव) एवं गुजरात सरकार के
अपर सचिव, गुजरात सरकार, प्रतिनिधि
अहमदाबाद

14. श्री विनोद शाह, सचिव, ज.सं..वि,
मुख्य अभियंता तथा अपर सचिव (ज.सं.), राजस्थान सरकार के
राजस्थान सरकार प्रतिनिधि

राज्य सरकार के अन्य अधिकारी:

15. श्री राजेंद्र पवार,
मुख्य अभियंता,
योजना एवं जल विज्ञान,
ज.सं..वि, नासिक, महाराष्ट्र

16. श्री एम.पी सामरिया,
कार्यकारी अभियंता,
ज.सं..वि, राजस्थान सरकार

17. श्री डी. संकरा राव,
उप कार्यकारी अभियंता,
आंध्र प्रदेश सरकार

रा.ज.वि.अ. के अधिकारी:

18. श्री एम.के श्रीनिवास
मुख्य अभियंता (दक्षिण),
रा.ज.वि.अ., हैदराबाद

19. श्री आर.के जैन,
मुख्य अभियंता (मुख्यालय),
रा.ज.वि.अ., नई दिल्ली

20. श्री एन.सी जैन,
निदेशक (तक),
रा.ज.वि.अ., नई दिल्ली

21. श्री के.पी गुप्ता,
अधीक्षण अभियंता,
रा.ज.वि.अ., नई दिल्ली

22. श्री के.के राव,
उप निदेशक (एच),

रा.ज.वि.अ., नई दिल्ली

23. श्री एन.पी साहू,
सहायक निदेशक,
रा.ज.वि.अ., नई दिल्ली

24. श्री एम.एस अग्रवाल,
वरिष्ठ सलाहकार,
रा.ज.वि.अ., नई दिल्ली

25. श्री के.पी सिंह,
वरिष्ठ सलाहकार,
रा.ज.वि.अ., नई दिल्ली

26. श्री एम.के सिन्हा,
वरिष्ठ सलाहकार,
रा.ज.वि.अ., नई दिल्ली

27. श्री निज़ाम अली,
सलाहकार,
रा.ज.वि.अ., नई दिल्ली

संलग्नक-3.3.1

भारत के नदियों को जोड़ना:

अधिकतम लाभ उठाना

प्रोदिप्तो घोष, विद्यावाचस्पति

विख्यात सदस्य,

ऊर्जा एवं संसाधन संस्थान

अप्रैल 2016

वचन:

- बारम्बार उत्पन्न होने वाले जल विज्ञानीय असंतुलन के समस्याओं – सूखा तथा बाढ़ का स्थायी समाधान
- कृषि क्षेत्र में भारत की वैश्विक प्रतिस्पर्धा और प्रमुख योगदान की अनुभूति
- *"सभी जलवायु परिवर्तन अनुकूलन रणनीतियों की जननी"*
- एकीकृत योजना और सहती जल, नदियों और भू जल प्रबंधन क्षमता
- जल संसाधनों की नीति में गत विरूपताओं के सुधार का साधन

- व्यापक कृषि एवं सिंचाई क्षेत्र सुधार को बढ़ावा देने में सहायता कर सकता है

हालांकि.....

- संभव प्रतिकूल पर्यावरणीय प्रभावों के संबंध में आशंका है: उदाहरण, मृदा की वृद्ध क्षार-लवणता, परकीय जैव-विविधता प्रजातियों के लिए प्रकीर्णन के लिए मार्ग, वृद्ध भू-जनित अंतःस्यंदन (फ्लोराइड सेलेनियम), क्षेत्रीय एवं व्यष्टि जलवायु परिवर्तन
- प्रतिकूल सामाजिक प्रभावों की भी आशंका है – धनी कृषकों को लाभ हो सकता है, जबकि गरीब कृषक इससे वंचित रह सकते हैं
- संभव वित्तीय प्रभाव – सुरेश प्रभु के कार्यबल का अनुमान रु. 250,000 करोड़। आधुनिक अनुमान इससे काफी अधिक हो सकता है।
- एक ऐसे वित्तीय प्रतिमान के विकास की आवश्यकता है जो विरूपित सिंचाई शुल्कों के सुधार की पुष्टि के सहायता करेगी: संतुलित जोखिम साझा सहित नि.सा.स ?

पूर्णरूपेण *कार्यक्रम* के लिए ऐसे सवाल जिनके जवाब दिए जाने हैं:

- समष्टि अर्थव्यवस्था प्रभाव – स.घ.उ विकास, क्षेत्रीय स.घ.उ विकास, वाणिज्य प्रतिस्पर्धा, गरीबी तथा सामाजिक निष्पक्षता पर प्रभाव, ऊर्जा तथा कृषि आगत माँगों पर प्रभाव
- राज्य/क्षेत्र द्वारा अनुकूल शस्य स्वरूप
- देश भर में क्षेत्रीय पर्यावरणीय प्रभाव, और न्यूनीकरण विकल्प
- जल विज्ञानीय प्रभावों – सतही, भू, नदी का व्यापक आंकलन
- क्षेत्रीय जलवायु परिवर्तन प्रभाव, और जल विज्ञान के संबंध में अनुकूलन के संबोधन में कार्यक्रम की क्षमता

निश्चित प्रयासों की आवश्यकता:

समष्टि स्तर: एकीकृत प्रभाव आंकलन

- **जल विज्ञानीय आकलन** (सम्पूर्ण देश के लिए):
  - क्षेत्रीय जलवायु प्रतिरूपण – वर्षा, तापमान, आर्द्रता, हवाओं पर प्रभाव
  - जल विज्ञानीय प्रतिरूपण – नदी, सतही और भू जल के एकीकरण में
- **शस्य प्रतिरूपण**:
  - न.के.अं की परियोजना सहित और इसके बिना अनुकूल शस्य स्वरूप, जलवायु परिवर्तन
- **पर्यावरणीय प्रभाव आकलन**:

- सम्पूर्ण योजना के लिए संचयी पर्यावरणीय प्रभाव आंकलन

समष्टि स्तर के निश्चित प्रयास.....

- **सामाजिक प्रभाव आकलन**:
  - संचयी (सामाजिक वर्गों में आय वितरण, राष्ट्रीय स्तर पर रोजगार पर प्रभाव, जमीन के कीमतों पर प्रभाव)
- **समष्टि अर्थव्यवस्था आकलन**:
  - गतिशील (दीर्घकालिक), स.घ.उ वृद्धि पर प्रभाव और प्रति व्यक्ति आय, क्षेत्रीय विकास, वितरण प्रभाव, अंतर्राष्ट्रीय वाणिज्य पर प्रभाव, ऊर्जा और कृषि आगत माँगों पर प्रभाव
- प्रतिपुष्टि तंत्र का समावेशन किया जाना होगा

परियोजना स्तर के निश्चित प्रयास:

- अंतर-पीढ़ी प्रभावों के उचित सामाजिक छूट दर सहित परियोजना स्तर का लागत-लाभ विश्लेषण
- सतही, नदी और भू जल पर के प्रभावों के लिए जलाशय स्तरीय जल विज्ञानीय प्रतिरूपण: पीक सीजन के दौरान सर्वाधिक जल भण्डारण के लिए विकल्प
- जल वितरण के भिन्न अनुमानों के अंतर्गत कमान क्षेत्र में अनुकूल शस्य स्वरूप
- सामाजिक प्रभाव आकलन समावेशन अनैच्छिक विस्थापन, परियोजना स्तर के कार्यों पर प्रभाव, जमीन के कीमतों पर प्रभाव, क्षतिपूर्ति, पुनर्वासन

नदियों के अंतर्योजन की परियोजना के एकीकृत आकलन की योजना

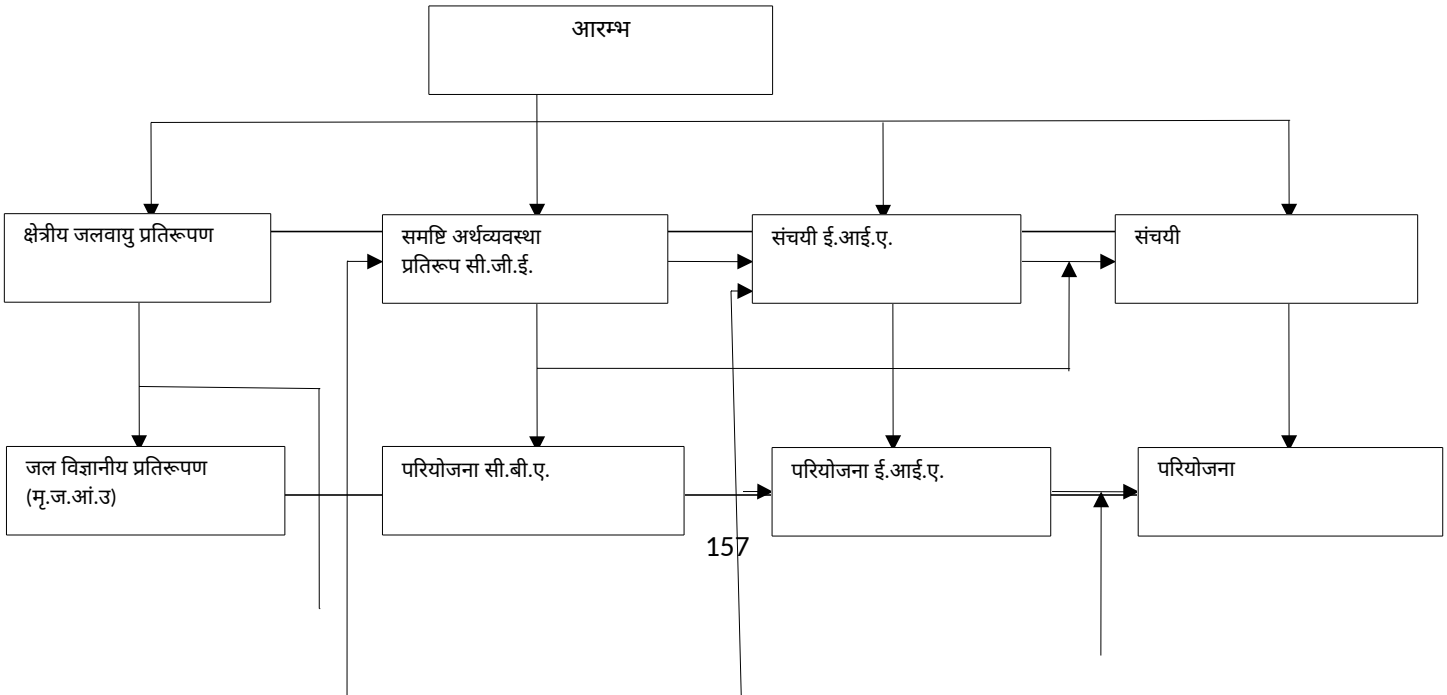

धन्यवाद